

झारखण्ड सरकार  
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग  
योजना, मदन, नेपाल हाउस, डोरण्डा, राँची

पत्रांक :-वि0प्रा0योजना-54/11 (पार्ट-2)

/राँची, दिनांक-

प्रेषक,

राहुल कुमार पुरवार,  
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवामें,

प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य,  
राजकीय पोलिटेकनिक, खरसावों/आदित्यपुर/दुमका/खुटरी/लातेहार/राँची/  
धनबाद/निरसा/भागा/कोडरमा/जगन्नाथपुर/साहेबगंज/सिमडेगा  
राजकीय महिला पोलिटेकनिक, जमशेदपुर/बोकारो/राँची/दुमका, झारखण्ड।

विषय :-

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में डिप्लोमा, स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम/राजकीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों का आधुनिकीकरण/सुदृढीकरण/स्थापना आदि/संविदा के आधार पर रखे गये कर्मियों के वेतन भुगतान एवं राज्यान्तर्गत स्थापित होने वाले नये राजकीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों के लिए प्रस्तावित मदों में व्यय हेतु कुल रू0 44,79,80,900/- (रू0 चौवालीस करोड़ उनासी लाख अस्सी हजार नौ सौ) मात्र की आवंटन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग के पत्रांक-285 दिनांक-25.03.2026 तथा विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0 04/योजना दिनांक 12.05.2026 के आलोक में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में संबंधित शीर्षों में उपबंधित राशि व्यय प्रयोजन हेतु कुल रू0 44,79,80,900/- (रू0 चौवालीस करोड़ उनासी लाख अस्सी हजार नौ सौ) मात्र की आवंटन की स्वीकृति परिशिष्ट - 'क' एवं 'ख' के अनुसार प्रदान किया जाता है।

- उक्त राशि का वहन राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष-2203-तकनीकी शिक्षा-लघु शीर्ष-112-इंजीनियरिंग /तकनीकी कालेज तथा संस्थान-उप शीर्ष-AN-डिप्लोमा, स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम/तकनीकी शिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण के विभिन्न विस्तृत शीर्षों में वित्तीय वर्ष 2026-27 में उपबंधित राशि रू0 85,00,00,000/- (रू0 पचासी करोड़) मात्र के अन्तर्गत विकलनीय होगा।
- उक्त राशि का वहन राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष-2203-तकनीकी शिक्षा-लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-उप शीर्ष-AN-डिप्लोमा, स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम/तकनीकी शिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण के विभिन्न विस्तृत शीर्षों में वित्तीय वर्ष 2026-27 में उपबंधित राशि रू0 15,00,00,000/- (रू0 पन्द्रह करोड़) मात्र के अन्तर्गत विकलनीय होगा।
- स्वीकृत राशि का दूसरे मदों में अपवर्तन या विचलन कदापि नहीं किया जाये। यह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाब देही होगी।
- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह आश्वस्त होने के उपरान्त ही उक्त राशि की निकासी करेंगे कि इस कार्य के लिये अन्य स्रोतों से राशि नहीं प्राप्त किया गया है।
- यह राशि राज्य स्कीम से संबंधित है तथा कोड 2101 है।
- उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक के प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य/विभाग द्वारा नामित पदाधिकारी होंगे।
- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी होगी कि राशि का भुगतान बैंक एकाउन्ट अंतरण के माध्यम से किया जाएगा।
- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी आवंटनादेश निर्गत होने के पश्चात ही राशि की निकासी एवं व्ययन करने के क्रम में विपत्र पत्र पर तदनुसार उपर्युक्त कंडिका 2 एवं 3 के बजट शीर्ष विपत्र पर अंकित करेंगे।



10. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561 दिनांक 17/4/98 के आलोक में की जाएगी राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित्त विभाग के उपर्युक्त पत्र में निहित दिशा-निर्देश एवं समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत परिपत्रों का अनुपालन करना आवश्यक होगा। साथ ही वित्त विभाग के आदेश पत्रांक-285 दिनांक-25.03.2026 का अक्षरशः पालन अनिवार्य होगा।
11. राशि की निकासी जिला कोषागार, राँची/बोकारो/जमशेदपुर/दुमका/कोडरमा/सरायकेला/धनबाद/लातेहार/साहेबगंज/सिमडेगा/चाईबासा/उप कोषागार, तेनुघाट से की जायेगी।
12. स्वीकृति राशि के अंकेक्षण का अधिकार, महालेखाकार, झारखण्ड एवं वित्त विभाग (अंकेक्षण) का होगा।
13. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का पालन सख्ती से किया जाएगा।
14. व्यय विवरणी, टी०भी०नं०, सहित संकलित एवं संधारित कर महालेखाकार कार्यालय जाकर लेखाओं का सत्यापन/मिलान त्रैमासिकी सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

ह०/-

(राहुल कुमार पुरवार)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :-वि०प्रा०योजना-54/11 (पार्ट-2)

/राँची, दिनांक-

प्रतिलिपि :-कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, राँची/बोकारो/जमशेदपुर/दुमका/कोडरमा/सरायकेला/धनबाद/लातेहार/साहेबगंज/सिमडेगा/चाईबासा/उप कोषागार, तेनुघाट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(राहुल कुमार पुरवार)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :-वि०प्रा०योजना-54/11 (पार्ट-2)/02/बजट

/राँची, दिनांक- 24/05/2026

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग झारखण्ड/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सभी प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/बजट पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी को Upload हेतु/प्रभारी निर्गत शाखा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची को एक अतिरिक्त प्रति गार्ड फाईल में रखने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.5.26

(राहुल कुमार पुरवार)

सरकार के प्रधान सचिव।